न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 52/2017
दायर दिनांक – 20/07/2017
निर्णय दिनांक – 21/06/2018

अनवान

1. नारायण पिता कालू खटीक निवासी गिलुण्ड तह0– रेलमगरा

वादीगण

बनाम

1. बालूराम पिता कालू खटीक निवासी गिलुण्ड तह0– रेलमगरा
2. तहसीलदार महोदय जरिये भूमिधारक रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

: : निर्णय : :

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया कि ग्राम गिलुण्ड में स्थित वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 4612/1926 रकबा 05–05 बीघा स्थित है। वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 दोनो का 1/2 – 1/2 हिस्सा सयुंक्त खातेदारी मे रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज है तथा भूमि के विकास के लिये वादी राजस्व रेकार्ड में मिण्टस एण्ड बोण्डस पद्धति के आधार पर विभाजन कराकर मौके पर स्वतंत्र आधिपत्य प्राप्त करना चाहते है। अतः प्रार्थना है कि वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मिण्टस एण्ड बोण्डस पद्धति के विभाजन करवाया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 बावजूद सुचना उपस्थित। जवाब हेतू अवसर चाहा। प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध कोई दाद नही चाही गयी है। पत्रावली प्रतिवादी संख्या 01 के जवाब में नियत थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत गिलुण्ड पर रखा गया। दौराने शिविर प्रतिवादी संख्या 01 ने लोक अदालत से प्रभावित होकर विभाजन पर अपनी सहमति प्रदान की गयी। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारान ने सहमति जाहिर की गयी। विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार है :–

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

क्र. स.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1	बालूराम पिता कालू खटीक सा0देह0खातेदार मु0बी0क एस बी बी जे बैंक शाखा गिलूण्ड	4612 / 1926 मीन	2—12	2—12
	योगः—	किता — 01	2—12	2—12
2	नारायण पिता दलीचन्द खटीक सा0देह0 खातेदार	4612 / 1926 / 1	2—13	4.77
	योगः—	किता — 01	2—13	4.77

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक—पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पूर्वानुसार रहन यथावत रखा जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21 / 06 / 2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प गिलुण्ड पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– शक्ति सिंह भाटी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 52/2017

अनवान

वादी पक्ष :–

1. नारायण पिता कालू खटीक निवासी गिलुण्ड तह0– रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :–

1. बालूराम पिता कालू खटीक निवासी गिलुण्ड तह0– रेलमगरा
2. तहसीलदार महोदय जरिये भूमिधारक रेलमगरा

दावा :– विभाजन

वादी की ओर से :– सी.एस. शक्तावत

प्रतिवादी की ओर से :– एम.डी. दशोरा

में इस आशय मे दिनांक 21.06.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम गिलुण्ड में स्थित वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 4612/1926 रकबा 05–05 बीघा कृषि भूमियां स्थित है। जिसका तहसीलदार रेलमगरा द्वारा विभाजन प्रस्ताव फहरिस्त मय रिपोर्ट के प्रस्तुत किया गया। वादी के अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रस्तुत विभाजन योजना पर सहमति व्यक्त की गई। वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन योजना अनुसार निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:–

विभाजन प्रस्ताव

क. स.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1	बालूराम पिता कालू खटीक सा0देह0खातेदार मु0बी0क एस बी बी जे बैंक शाखा गिलूण्ड	4612/1926 मीन	2–12	2–12
	योग:–	किता – 01	2–12	2–12
2	नारायण पिता दलीचन्द खटीक सा0देह0 खातेदार	4612/1926/1	2–13	4.77
	योग:–	किता – 01	2–13	4.77

21/6

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक अंकन हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। तहसील से प्राप्त विभाजन योजना निर्णय का जुज हिस्सा रहेगा। रहन यथावत रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 21/06/2018 को न्यायलय की मोहर एवम् मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(शक्ति सिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा